

(लोक ले० सं० प्रकाशन संख्या 297)

बिहार विधान-सभा

लोक-लेखा समिति

का


प्रतिवेदन संख्या 289

परिवहन विभाग से संबन्धित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-
परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 से 1982-83 (रा०प्रा०)
की कंडिकाओं पर लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन



सत्यमेव जयते

दिनांकको सदन में उपस्थापित)



विषय सूची

		पृष्ठ
	लोक लेखा समिति वर्ष (1993-94) का गठन	1-2
	ग्राम्ख	3
	प्रतिवेदन :—	1
क्रमांक	1—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1980-81 (रा० प्रा०) की कडिका 1.2	2-3
	अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) की कडिका 1.2	
	अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (रा० प्रा०) की कडिका 1.2	
क्रमांक	2—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1980-81 (रा० प्रा०) की कडिका 1.3	3—6
	अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) की कडिका 1.3	
	अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (रा० प्रा०) का कडिका 1.3	
क्रमांक	3—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1980-81 (रा० प्रा०) की कडिका 1.4	6—8
	अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) की कडिका 1.4	
	अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (रा० प्रा०) की कडिका 1.4	
क्रमांक	4—अंकेक्षण प्रतिवेदन (1980-81) रा० प्रा०) की कडिका 1.5	8-9
क्रमांक	5—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1980-81 (रा० प्रा०) की कडिका 1.6	9-10
	अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) की कडिका 1.6	
क्रमांक	6—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1980-81 (रा० प्रा०) की कडिका 1.9	11-12
	अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) की कडिका 1.9	
	अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (रा० प्रा०) की कडिका 1.9	
क्रमांक	7—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1980-81 (रा० प्रा०) की कडिका 1.10	13
क्रमांक	8—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1980-81 (रा० प्रा०) की कडिका 4.1	14—16
क्रमांक	9—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1980-81 (रा० प्रा०) की कडिका 4.2	16—18
क्रमांक	10—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1980-81 (रा० प्रा०) की कडिका 4.3 (क) (ख)	18—20

(ii)

		पृष्ठ
क्रमांक 11—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1980-81 (रा० प्रा०) की कड़िका 4.4		21
क्रमांक 12—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) की कड़िका 4.1		22-23
क्रमांक 13—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) की कड़िका 4.2		23-24
क्रमांक 14—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) की कड़िका 4.3		24—26
क्रमांक 15—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) की कड़िका 4.4		26—28
क्रमांक 16—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) की कड़िका 4.5		28—30
क्रमांक 17—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) की कड़िका 4.6		30—32
क्रमांक 18—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (रा० प्रा०) की कड़िका 4.1		33-34
क्रमांक 19—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (रा० प्रा०) की कड़िका 4.2		34—37
क्रमांक 20—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (रा० प्रा०) की कड़िका 4.3		38—42
क्रमांक 21—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (रा० प्रा०) की कड़िका 4.4		42—44
क्रमांक 22—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (रा० प्रा०) की कड़िका 4.5		44—47
क्रमांक 23—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (रा० प्रा०) की कड़िका 4.6		47-48
क्रमांक 24—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1982-83 (रा० प्रा०) की कड़िका 4.7		48-49

— — —

बिहार विधान सभा

लोक लेखा समिति (1993-94) का गठन

सभापति

(1) श्री जगदीश शर्मा, स० वि० स०

सदस्यगण

(2) श्री योगेश्वर गोप, स० वि० स०

(3) श्री स्वामी नाथ तिवारी, स० वि० स०

(4) श्री नरेश दास, स० वि० स०

(5) श्री रामजीवन प्रसाद, स० वि० स०

(6) श्री मोहम्मद सिद्धिक, स० वि० स०

(7) श्री उदय नारायण चौधरी, स० वि० वि०

(8) श्री मुनेश्वर चौधरी, स० वि० स०

(9) श्री चुन्नी लाल राजबशी, स० वि० स०

(10) श्री मुनेश्वर प्रसाद सिंह, स० वि० स०

(11) श्री शकील अहमद, स० वि० स०

(12) श्री विजय शंकर दूबे, स० वि० स०

(13) श्री रघुबश प्रसाद सिंह, स० वि० स०

(14) श्री राधवेन्द्र प्रताप सिंह, स० वि० स०

(15) श्री अवध बिहारी चौधरी, स० वि० स०

(16) श्री विनायक प्रसाद यादव, स० वि० स०

(17) श्री विजय शंकर पाण्डेय, स० वि० स०

(18) श्रीमती इन्दु देवी, स० वि० स०

(19) श्री शिवनन्दन प्रसाद सिंह, स० वि० स०

(20) श्री विजय शंकर मिश्र, स० वि० स०

(21) श्री राजेश्वर लाल, स० वि० स०

(22) श्री रामदेवी राम, स० वि० स०

(ख)

विशेष आमंत्रित

श्रीमती ज्योति, स० वि० स०

महालेखाकार कार्यालय

- (1) श्री डी० एन० प्रसाद, महालेखाकार, बिहार, पटना ।
- (2) श्री लक्ष्मी नारायण प्रसाद, महालेखाकार, बिहार, राँची ।
- (3) श्री बी० एन० झा, लेखा परीक्षा अधिकारी, राँची ।

वित्त विभाग

- (1) श्री फूलचन्द्र सिंह, वित्त सचिव
- (2) श्री एस० एन० माथुर, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग ।

बिहार विधान-सभा सचिवालय

- (1) श्री युगल किशोर प्रसाद, सचिव
- (2) श्री लियो वाल्टर कुजूर, संयुक्त सचिव
- (3) श्री मदन नारायण मिश्र, उप-सचिव
- (4) श्री इन्दिरा रमण उपाध्याय, प्रवर-सचिव
- (5) श्री बच्चु सिंह, प्रशासी पदाधिकारी
- (6) श्री राधाकृष्ण रजक, प्रशासी पदाधिकारी
- (7) श्री फूल झा, प्रशाखा पदाधिकारी
- (8) श्री मौलेश्वरी प्रसाद सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी
- (9) श्री नन्दकिशोर प्रसाद सिंह, प्रवर कोटि सहायक
- (10) श्री उदय कुमार सिंह, प्रवर कोटि सहायक
- (11) श्री तेज नारायण पाण्डेय, सहायक
- (12) श्री संजय कुमार, सहायक
- (13) श्री बिनोद कुमार सिंह, सहायक
- (14) श्री रंजन प्रभात, सहायक

ग्रामुख

में सभापति, लोक लेखा समिति, परिवहन विभाग से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 से 1982-83 (राजस्व प्राप्ति) की कठिनायों पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ। यह प्रतिवेदन दिनांक 20 जुलाई, 1993 को समिति द्वारा पारित किया गया।


श्री डी० एन० प्रसाद महालेखाकार, पटना (लेखा परीक्षा-I), श्री लक्ष्मीनारायण प्रसाद महालेखाकार, (लेखा परीक्षा-II), श्री बी० एन० झा, लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री फूलचन्द्र सिंह, वित्त सचिव, श्री एस० एन० माथुर, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग ने समिति को जो सहायता दिया है, इसके लिए समिति उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती है।

विधान-सभा सचिवालय के पदधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रतिवेदन तैयार करने में समिति को सहयोग प्रदान किया है, समिति इसके लिए इनको धन्यवाद देती है।

पटना :

दिनांक 20 जुलाई, 1993।

जगदीश शर्मा
सभापति,
लोक लेखा समिति।



परिवहन विभाग से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक महालेखा-
परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 से
1982-83 (रा०प्रा०) की कंडिकाओं पर लोक
लेखा समिति का प्रतिवेदन।

क्रमांक-1—प्र० प्र० 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका—1.2।

प्र० प्र० 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका—1.2।

प्र० प्र० 1982-83 (रा० प्रा०) की कंडिका—1.2।

राज्य द्वारा वसूला गया कर राजस्व—वर्ष 1980-81, 1981-82 एवं 1982-83 में यानों पर कर के अन्तर्गत प्राप्तियां निम्न प्रकार थी—

1980-81

1981-82

1982-83

(राशि करोड़ रुपयों में)

11.97

13.05

26.30

वर्ष 1982-83 में 1981-82 के मुकाबले 13.25 करोड़ रुपए की अधिक प्राप्ति हुई।

विभागीय स्पष्टीकरण।

(क) 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.2 (ख) :—

यह कंडिका राज्य द्वारा वसूला गया कर राजस्व के अन्तर्गत यानों पर कर से सम्बन्धित है। इस मद में 1979-80 की तुलना में वर्ष 1980-81 में 4.66 करोड़ रु० का ह्रास हुआ। इनका एकमात्र कारण है कि मोटर गाड़ी कर की भुगतान प्राप्ति हेतु विभिन्न जिले के भारतीय स्टेट बैंक को प्राधिकृत किया गया है। सम्बन्धित जिले के बैंक से प्रतिवेदन आने में थिलम्ब हुआ जिस कारण 31 मार्च तक सचिवालय शाखा के भारतीय स्टेट बैंक में उपलब्ध घांक्रुडे की ही गणना वित्तीय वर्ष 1980-81 में की जा सकी। अन्य घांक्रुडे अप्रैल अथवा इसके बाद आने वाले घांक्रुडों का गणना अगले वर्ष अर्थात् 1981-82 में की गई। इस प्रकार राजस्व वसूला को कमी दिखाई गई।

अतः अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों के आलोक में इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

(ख) 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका संख्या—1.2 (ख) :—

उपर्युक्त कंडिका यानों पर कर से सम्बन्धित है। इस मद में वर्ष 1981-82 में 13.5 करोड़ रुपए की वसूला की गई जो वर्ष 1980-81 की तुलना में 1.08 करोड़ रु० अधिक है।

राजस्व वसूली में वृद्धि लाने हेतु विभाग द्वारा हमेशा प्रयास जारी है। सम्बन्धित पदाधिकारियों को इसमें वृद्धि लाने हेतु समय-समय पर दिशा निदेश दिए जाते रहते हैं तथा विभागीय बैठक में भी इस विषय पर ठोस निदेश दिये जाते हैं। विभाग द्वारा राजस्व वसूली में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाती है तथा हमेशा लक्ष्य प्राप्ति हेतु समुचित प्रक्रिया अपनायी जाती है।

वर्णित तथ्यों के अलोक में इस कंडिका को समाप्त करने का अनुशंसा की जाती है।

(ग) 1982-83 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.2 (ख) (vi)

उपरोक्त कंडिका राज्य द्वारा वसूला गया राजस्व के अंतर्गत यानों पर कर से संबंधित है। इस मद में वर्ष 1982-83 में वर्ष 1981-82 की तुलना में 13.25 करोड़ रुपये की अधिक वसूली की गई है। इसे संतोषप्रद माना जा सकता है। विभाग की ओर से कर वसूली में सुस्तोंदी लाई गई है यही कारण है कि राजस्व वसूली में उत्तरोत्तर वृद्धि जारी है।

अतः अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों के अलोक में इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के अलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाने नहीं चाहती है।

क्रमांक-2

अ० प्र० 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका-1.3

अ० प्र० 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका-1.3

अ० प्र० 1982-83 (रा० प्रा०) की कंडिका-1.3

बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़ों में घट-बढ़ :—वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक प्राप्तियों के बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़ों में जो घट-बढ़ हुए, नीचे दिखाये जा रहे हैं :—

राजस्व के शीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	अन्तर वृद्धि (+) ह्रास (-)	अन्तर की प्रतिशता
1	2	3	4	5	6
		(राशि करोड़ रुपये में)			
धानों पर कर	1980-81	10.85	11.97	(+) 1.12	10.32
	1981-82	11.76	13.05	(+) 8.29	10.97
	1982-83	31.03	26.30	(-) 4.73	15.24

उपर्युक्त विवरणी से पता चलता है कि वर्ष 1982-83 में बजट अनुमान के मुकाबले में प्राप्तियां 15.24 प्रतिशत कम हुई है।

विभागीय स्पष्टीकरण

(क) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.3 (6) का अनुपालन प्रतिवेदन :

उपर्युक्त कंडिका बजट अनुमान और वास्तविक आंकड़ों में अंतर के “अन्तर्गत” धानों पर कर से संबंधित है। इस मद के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 में कर वसूली में 4.94 करोड़ की कमी दिखाई गयी है जबकि वर्ष 1979-80 में 6.87 करोड़ की वृद्धि दिखाई गई है।

इस संबंध में वस्तु स्थिति यह है कि राज्य के विभिन्न जिलों में भारतीय स्टेट बैंक को पे-इन-स्लीप के माध्यम से जमा किये गये मोटर गाड़ी कर को स्वीकार करने हेतु प्राधिकृत किया गया है जिसका हिसाब सचिवालय स्थित भारतीय स्टेट बैंक में भेजा जाता है जिसके आधार पर कुल राजस्व वसूली का समेकित आकड़ा तैयार किया जाता है। यह हिसाब वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दिन तक निश्चित रूप से सचिवालय शाखा स्थित स्टेट बैंक में पहुंच जाना चाहिये परन्तु बहुत से बैंकों से समय पर प्रतिवेदन नहीं पहुंच पाते हैं तथा सचिवालय शाखा स्थित भारतीय स्टेट बैंक में उपलब्ध आंकड़े के आधार पर राजस्व वसूली संबंधी प्रतिवेदन सरकार को भेज दिया जाता है। बाद में प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उस राशि को दूसरे वित्तीय वर्ष के आंकड़ों में सम्मिलित कर लिया

जाता है। यही कारण है कि वर्ष 1978-79 में 4.94 करोड़ रुपये कम दिखाया गया है जबकि वर्ष 1979-80 में 6.87 करोड़ रुपये अधिक दिखाया गया है।

वस्तु स्थिति वह है कि विभाग द्वारा राजस्व वसूली में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके लिए विभाग हमेशा प्रयत्नशील है तथा इस सम्बन्ध में संबंधित जिला परिवहन अधिकारियों को समय-समय पर आवश्यक मार्ग दर्शन दिये जाते रहते हैं।

अतः अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों के आलोक में उक्त कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

(ख) भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.3 (6) का अनुपालन प्रतिवेदन :

उपर्युक्त कंडिका यानों पर कर से संबंधित है। इस माह में वर्ष 1981-82 में 13.05 करोड़ रुपये की वसूली की गई जो वर्ष 1980-81 की तुलना में 1.29 करोड़ अधिक है। इस प्रकार 10.97 प्रतिशत की वृद्धि, विभाग द्वारा की गई। राजस्व की वसूली में वृद्धि लाने हेतु समय-समय पर संबंधित अधिकारियों को समुचित दिशा-निर्देश दिये जाते हैं जिससे राजस्व वसूली में वृद्धि लाई जा सके।

वर्णित तथ्यों के आलोक में उक्त कंडिका को समाप्त करने हेतु अनुशांसा की जाती है।

(ग) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा का प्रतिवेदन वर्ष 1982-83 (रा० प्रा०) की कंडिका सं० 1.3 (ख) (7) (8) का अनुपालन प्रतिवेदन।

उपर्युक्त कंडिका बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों में अंतर से संबंधित है। इसके अन्तर्गत मद सं० 7 में यानों पर कर में वर्ष 1982-83 में 4.73 करोड़ रुपये का ह्रास दिखाया गया है। इसका कारण है कि मोटरयान कर का भुगतान स्वीकार करने हेतु राज्य में विभिन्न जिलों के भारतीय स्टेट बैंकों को प्राधिकृत किया गया है जिसका आंकड़ा सचिवालय स्थित भारतीय स्टेट बैंक में भेजा जाता है। वहां से प्राप्त आंकड़े के अनुसार सरकार को प्रतिवेदन भेजा जाता है। परन्तु वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक बहुत से बैंकों से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो पाते हैं जिस कारण सही आंकड़ा नहीं भेजा जा सकता है तथा बाद में आंकड़े प्राप्त होने पर अगले वित्तीय वर्ष में उसकी गणना की जाती है।

मद सं० 8 में दर्शाये गये आंकड़े से स्पष्ट होगा कि 1981-82 को तुलना में वर्ष 1982-83 में 220.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इस प्रकार विभाग द्वारा राजस्व वसूली हेतु बराबर तत्परता बरती जाती है तथा प्रतिवर्ष राजस्व को वसूली में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

अतः अनुरोध है कि वरिष्ठ तथ्यों के अलाक में इस कडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण संतोषप्रद है। इसीलिए समिति अब इस कडिका का प्रगे बढ़ना नहीं चाहती है।

क्रमांक—3 अ० प्र० 1980-81 (रा० प्रा०) की कडिका—1.4

अ० प्र० 1981-82 (रा० प्रा०) की कडिका—1.4

अ० प्र० 1982-83 (रा० प्रा०) की कडिका—1.4

संग्रहण की लागत—वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक तीन वर्षों के दौरान यानों पर “कर” शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों के संग्रहण की लागत निम्न प्रकार थी :—

लेखा शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5
(राशि करोड़ रुपये में)				
परिवहन पर कर	1980-81	11.97	0.58	4.85
..	1981-82	13.05	0.68	5.21
...	1982-83	26.30	0.79	3.00

विभागीय स्पष्टीकरण ।

(क) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 (रा० प्रा०) का कंडिका 1.4 (5) का अनुपालन प्रतिवेदन :—

उपर्युक्त कंडिका कर संग्रहण की लागत से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि यानों का निबंधित लदान वजन 112½ प्रतिशत तथा 125 प्रतिशत निर्धारित किया जाना चाहिए। इस कंडिका के अनुपालन हेतु सभी जिला परिचालन पदाधिकारियों का विशेष विभागीय बैठक में वृहद निदेश दिए गए तथा इस सम्बन्ध में पत्र द्वारा भी निदेश दिए गए हैं। उक्त कंडिका का अक्षरशः पालन सभी जिलों में कर दिया गया है तथा पुनरांकित लदान वजन के आधार पर ही कर को वसूलो की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों के आलोक में इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

(ख) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.4 (5) का अनुपालन प्रतिवेदन।

उपर्युक्त कंडिका मोटर यान कर में वृद्धि से सम्बन्धित है। इस मद में दिनांक 1 जनवरी, 1982 तक पिछले वर्ष की तुलना में 0.69 कराड़ रुपये अधिक राजस्व की वसूली की गई। राजस्व में वृद्धि लान हेतु समय-समय पर संबंधित पदाधिकारियों को समुचित दिशा निर्देश दिए जाते हैं ताकि राजस्व में वृद्धि लाई जा सके। विभाग द्वारा राजस्व की वृद्धि हेतु हमेशा प्रयास किया जाता है तथा इसमें सफलता भी मिलती रही है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में उक्त कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

(ग) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा का प्रतिवेदन वर्ष 1982-83 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.4 का अनुपालन प्रतिवेदन।

उपर्युक्त कंडिका में कर संग्रहण की लागत व्यय वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में क्रमशः 4.85, 5.21 तथा 3.00 प्रतिशत दिखाया गया है। इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि कर वसूली सुनिश्चित करने हेतु कर वंचक वाहनों का सघन चर्किंग अभियान चलाए जाते हैं तथा इसमें जिलाधिकारी एवं आरक्षी अधिकारी का सहमति से जला बल से आरक्षी दल को प्रतिनियुक्ति का जस्ता है। जिसके लिए अलग से वाहन की व्यवस्था करनी पड़ता है। उक्त वाहन चर्किंग एवं वाहना में ईंधन इत्यादि का खर्च में कमी वेशी होने के कारण यह अंतर है। जा भी हो, कर संग्रहण तथा

स्थापना इत्यादि व्यय में इस विभाग में बहुत ही कम व्यय किया जाता है। सरकार की नीति के अनुसार मितव्ययिता का पालन इस विभाग में कड़ाई के साथ किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि वरिष्ठ तथ्यों के आलोक में इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के अलोक में समिति अनुशंसा करती है कि भविष्य में कर संग्रहण व्यय में विभाग अधिक-से-अधिक मितव्ययिता बरते।

इसी अनुशंसा के साथ समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक—4 अं० प्र० वर्ष 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.5

कराधान के उपाय कराधान के अपनाए गए उपाय तथा प्रत्याशित प्रतिरिक्त राजस्व निम्नवत है—

उपाय	लागू किये जाने की तिथि	1980-81 में प्रत्याशित राजस्व (करोड़ रु० में)
सड़क उपकरण की दर में 20 से 25% की वृद्धि	1-4-1980	0.45

उपर्युक्त उपाय से वर्ष के दौरान क्या वास्तविक प्राप्ति हुई इसकी सूचना जुलाई 1981 में मांगी गई थी जिसे सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था (मई 1982)।

विभागीय स्पष्टीकरण

भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 (रा० प्रा०) का कंडिका 1.5 का अनुपालन प्रतिवेदन :

उपर्युक्त कंडिका सड़क उपकरण की दर में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि से संबंधित है। इस संबंध में जहां तक वास्तविक प्राप्ति का प्रश्न है, वर्ष 1980-81 में 0.45 करोड़ रुपये दिखाया गया है। यह वृद्धि सड़क उपकरण में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि के फलस्वरूप हुई है। इस प्रकार कुल राजस्व वसूली में इस प्रावधान के लागू किये जाने से यह वृद्धि संभव हो सकी। राजस्व वसूली में वृद्धि हेतु विभाग द्वारा हर संभव

उपाय किये जा रहे हैं तथा इसमें विभाग को अप्रत्याशित सफलता भी इधर मिली है। यह प्रयास अभी भी जारी है तथा भविष्य में भी जारी रहेगा।

अतः अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों के आलाक में इस कड़िका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टाकरण संतोषप्रद नहीं है। अतः समिति अनुशंसा करती है कि:—

1. समय सीमा के अंदर लेखा-जोखा का पूर्ण सूचना नहीं देने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध जिम्मेवारा सुनिश्चित कर आवश्यक कार्रवाई की जाय।

2. भविष्य में समय-सीमा के अंदर विभागीय आंकड़ों की सूचना उपलब्ध कराई जाय।

3. वर्ष 1980-81 में सड़क उपकर की दर में वृद्धि से प्रत्याशित राजस्व के विरुद्ध वास्तविक रूप से कितनी राजस्व की प्राप्ति हुई, को सूचना छः माह के अंदर समिति को उपलब्ध कराई जाय।

क्रमांक—5 अ० प्र० वर्ष 1980-81 (रा० प्रा०) की कड़िका संख्या-1.6

अ० प्र० वर्ष 1981-82 (रा० प्रा०) का कड़िका संख्या-1.6

कर निर्धारण में बाकाया—विभाग द्वारा सूचित यात्री और माल कर के संबंध में 31 मार्च, 1982 के अंत में अंतिम रूप दिए जाने के लिए लंबित, पूरा करने के लिए बाकी कर निर्धारण काम को कुल संख्या तथा वास्तव में 1981-82 में पूरा किए गए कर निर्धारण की संख्या (दिसम्बर 1982) नीचे दी गई है:—

राजस्व शीर्ष	वर्ष पूरा होने के लिए बाकी कर निर्धारणों का संख्या	वर्ष के दौरान वास्तव में पूरे किए गए मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने के लिए लंबित कर निर्धारणों की संख्या	स्तम्भ (3) स्तम्भ (5) की प्रति-शतता
यात्री और 1979-80	1,13,199	36,304	76,895	67.9
माल पर कर 1980-81	1,11,815	23,301	88,514	79.2
1981-82	1,24,279	14,119	1,10,160	88.6

1981-82 के अत तक कर निर्धारणों के अनिर्णीत मामलों की संख्या में वृद्धि हुई थी। कर निर्धारणों के पूरे हानों में कमी तथा उसका भार संख्या में अनिर्णीत रहने के कारणों का प्रतीक्षा है। (जनवरी 1983)

विभागीय स्पष्टीकरण

(क) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 (रा० प्रा०) को काडका 1.6 का अनुमालन प्रतिवेदन :

उपर्युक्त काडका कर निर्धारण में बकाया के अन्तर्गत यात्रा और माल पर कर से संबंधित है। इस मद में विभाग द्वारा वर्ष 1979-80 में 76,895 मामले तथा वर्ष 1980-81 में 88,514 मामले दिखाए गए हैं। वर्ष 1979-80 में 67.9 प्रतिशत तथा वर्ष 1980-81 में 79.2 प्रतिशत मामले लांबत थे जिनके निष्पादन हेतु सभी संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों का आवश्यक निर्देश दे दिये गए हैं तथा इनका निष्पादन भी किया जा चुका है। अब इस आपात का कोई सार्थकता नहीं रह गई है।

अतः अनुरोध है कि इस समाप्त करने का कृपा किया जाय।

(ख) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1981-82 (रा० प्रा०) का काडका 1.6 का अनुमालन प्रतिवेदन।

उपर्युक्त काडका यात्रा और माल पर कर से संबंधित है इस मद में वर्ष 1981-82 में 88.6 प्रतिशत का अधिक राजस्व मामला को पूरा किया गया, जिससे अधिक राजस्व का वसूला हुई। इस प्रकार लांबत मामला का निष्पादन शाघ्र करने हेतु समय-समय पर विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों का समुचित दिशा-निर्देश दिए जाते रहे हैं ताकि अधिक राजस्व का वसूला हो सक।

वर्णित तथ्या के अलावा उक्त काडका का समाप्त करने का कृपा का जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के अलावा में समिति अनुशसा करती है कि भविष्य में विभाग लांबत मामलों के निष्पादन में सतर्कता बरते।

इस अनुशसा के साथ समिति अब इस काडका का भाग बढ़ाना नहीं चाहता है।

क्रमांक-6

अ० प्र०	1980-81	(रा० प्रा०)	की कडिका-1.9
अ० प्र०	1981-82	(रा० प्रा०)	की कडिका-1.9
अ० प्र०	1982-83	(रा० प्रा०)	की कडिका-1.9

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन—वर्ष 1982-83 तक निर्गत एवं सितम्बर, 1983 बकाया पड़े संकेक्षण प्रतिवेदनों एवं उनमें सम्मिलित कडिकाओं का विवरण निम्नप्रकार है :—

विभाग	प्राप्तियों का प्रकार	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन की सं०	कडिकाओं की संख्या	वर्ष जिसमें प्रथम प्रतिवेदन निर्गत किया गया
1	2	3	4	5
रिक्वहन	मोटरयान	280	1,258	1972-73

यद्यपि सरकार ने अनुरोध निर्गत किया है कि निरीक्षण प्रतिवेदन का पहला उत्तर निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करने की तिथि से एक मास के भीतर विभागीय अधिकारियों द्वारा भेज देना चाहिए। फिर भी मार्च, 1983 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर सितम्बर, 1983 तक पहला उत्तर भी प्राप्त नहीं हुआ था।

विवरण निम्न- प्रकार है :—

विभाग	प्राप्त करने वाले का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	वर्ष जिसमें प्रथम प्रतिवेदन निर्गत किया गया
रिक्वहन	मोटरयान	144	1972-73

विभागीय स्पष्टीकरण

(क) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 (रा० प्रा०) की कडिका -1.9 (क), (ख), (ग) का अनुपालन प्रतिवेदन।

उपर्युक्त कडिका में वर्णित (क), (ख), (ग) कडिकाओं का अनुपालन संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा कर दिया गया है तथा वर्तमान में वर्ष 1980-81 में कोई कडिका लम्बित नहीं है।

अतः अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों के आलोक में उक्त कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

(ख) भारत के नियंत्रक महालेखा परोक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1981-81 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.9 (ख) (6) का अनुपालन प्रतिवेदन।

उपर्युक्त कंडिका बकाया प्रतिवेदन से संबंधित है। सितम्बर 1982 तक 265 निरीक्षण प्रतिवेदन में 1.256 कंडिकाएँ थी जो वर्ष 1972-73 में सर्वप्रथम निर्गत हुआ था। उक्त कंडिकाओं के अनुपालन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया तथा इनमें से अधिकांश कंडिकाओं का अनुपालन किया जा चुका है। निरीक्षण प्रतिवेदन में संबंधित कार्यालय का उल्लेख नहीं रहने के कारण निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कितने मामलों का निष्पादन किया जा चुका है तथा कितना अभी बाकी है, फिर भी विभाग द्वारा सामान्य रूप से सभी पदाधिकारियों को इसके निष्पादन हेतु समय-समय पर आवश्यक मार्ग-दर्शन किया जाता रहा है, ताकि इसका निष्पादन हो सके।

वर्णित तथ्यों के आलोक में उक्त कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

(ग) भारत के नियंत्रक महालेखापरोक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1982-83 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.9 (ख), (ग) का अनुपालन प्रतिवेदन।

उपर्युक्त कंडिका के संबंध में कहना है कि वर्ष 1982-83 के सभी निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन कर दिया गया है तथा वर्तमान में कोई मामला लम्बित नहीं है।

अतः अनुरोध है कि स्पष्टीकरण के आधार पर उक्त कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

इस विन्दु पर अगले वर्षों के अन्वेषण प्रतिवेदनों की कंडिकाओं से ज्ञात होता है कि विभागीय उत्तर तथ्य से परे तथा सन्तोषप्रद नहीं है। अतः समिति अनुशंसा करता है कि प्राथमिकता के आधार पर विभाग एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं का निष्पादन कर छः माह के अन्दर समिति को अवगत करावे।

क्रमांक-7. अंशेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 (रा० प्रा०) की कडिका संख्या-1.10

ध्यान देने योग्य बातों पर सूचना प्राप्त नहीं होना—उम्बन्धित विभागों से निम्न-लिखित विषय पर जुलाई, 1981 में सूचनाएँ मांगी गई थीं, जिनका प्रतीक्षा है (मई, 1982) :—

(i) विभाग द्वारा 1980-81 के दौरान पकड़े गए धोखाधड़ी एवं कर वंचन के मामले ।

(ii) 1980-81 के दौरान राजस्व को बट्टे-खाते में डालना और कर मुक्त करना ।

(iii) 1978-79 एवं 1979-80 के भी ऐसे व्योरे उपलब्ध नहीं कराये गये ।

विभागीय स्पष्टीकरण

1980-81 के दौरान राजस्व को बट्टे खाते में डालने और कर मुक्त करने सम्बन्धी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। फिर भी इसके अनुपालन हेतु कार्रवाई की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों के आलोक में इस कडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण सन्तोषप्रद नहीं है। अतः समिति अनुशंसा करती है कि (1) भविष्य में समय-सीमा के अन्तर्गत ही मांगी गई सूचनाओं को महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराई जाय। साथ ही इसमें विलम्ब करने वाले पदाधिकारियों पर जिम्मेवारी निर्धारित कर विभागीय कार्रवाई की जाय।

(2) विभाग धोखाधड़ी एवं कर अपवंचन के मामलों पर पूरी तत्परता से कार्रवाई करें जिसे सरकार के राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हो सके।

इसी अनुशंसा के साथ समिति इस कडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक-8. पंकेक्षण प्रतिवेदन 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका-4.1

वर्द्धित लदान-भार को नहीं अपनाने से कम उगाही—बिहार और उड़ीसा मोटरघान कराधान अधिनियम, 1930 के अन्तर्गत मालवाहक यानों पर लगाये जाने वाले कर का परिमाण यानों के पंजीकृत लदान भार पर निर्भर करता है। अतः, 1959 में जारी की गई अधिसूचना के द्वारा राज्य सरकार ने निर्दिष्ट किया था कि 1952 के सभी यानों और उससे पहले वाले मॉडलों पर 1952 के बाद वाले सभी मॉडलों पर विनिर्माताओं द्वारा प्रमाणित यानों के सकल घान-भार का पंजीकृत लदान-भार क्रमशः 112½ प्रतिशत और 125 प्रतिशत होना चाहिए। विभाग ने अगस्त, 1971 में अन्देश जारी किया था, कि विनिर्माताओं द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र के आधार पर पहले से पंजीकृत यानों का पंजीकृत लदान-भार 12½ या 25 प्रतिशत, जैसी स्थिति हो, बढ़ा दिया जाय और बड़े हुए लदान-भार पर पथ-कर लगाया जाय। जनवरी, 1972 में पटना उच्च न्यायालय ने कुछ परिचारकों द्वारा एक रिट याचिका पेश किये जाने पर अगस्त, 1971 में जारी किये गये अन्देशों के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया। जब यह स्थगन आदेश हटा दिया गया (मार्च 1975), तो विभाग ने अगस्त, 1975 में पंजीकृत लदान-भार को बढ़ाने के लिए और बढ़ाए गए पंजीकृत लदान-भार पर कर वसूल करने के लिए पूर्ववर्ती अन्देशों को लागू करने हेतु पंजीकरण प्राधिकारियों को निर्देश देते हुए पुनः अन्देश जारी किया।

लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (नवम्बर, 1980) फरवरी, 1981 और मार्च, 1981) कि निम्नांकित जिला परिवहन कार्यालयों में विनिर्माता द्वारा प्रमाणित लदान-भार के सम्बन्ध में आवश्यक पृष्ठांकन नहीं किया गया था और 1952 के बाद वाले मॉडलों के 25 यानों के सम्बन्ध में कम लदान-भार में लागू होने वाली दर कम वसूल किया गया था। परिणामस्वरूप दिसम्बर, 1975 और मार्च 1981 की अवधि के बीच इस मद में 54,495 रुपये के कर की हानि हुई।

परिवहन कार्यालयों के नाम	कुल यानों की संख्या	कर हानि की राशि
छपरा	12	23,476.71
पटना	9	20,071.25
मजफ्फरपुर	4	10,946.65
कुल	25	54,494.61 अर्थात् 54,495 रुपये

पटना के जिला परिवहन अधिकारी ने माचे, 1981 में बताया कि लदान भार में पुनरीक्षण करने तथा कर के अंतर वमूल करने की कार्रवाई की जा रही है।

इस बात की सूचना विभाग को अक्टूबर, 1981 तथा नवम्बर, 1981 और सरकार को जनवरी, 1982 में दी गई थी। उत्तर की प्रतीक्षा है (मई, 1982)।

विभागीय स्पष्टीकरण :—

भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 (गं० प्रा०) की कंडिका 4.1 में वद्धित लदान भार को नहीं अपनाते से कर की कम उगाहा के सबध में कहना है कि उक्त कंडिका का विषय जिला परिवहन कार्यालय, छपरा, मुजफ्फरपुर एवं पटना से संबंधित है जिसका संबंधित जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर विभागीय मन्तव्य निम्न प्रकार है :—

1 जिला परिवहन पदाधिकारी, छपरा का उक्त कंडिका से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :—

बी० आर० डा०-5743 पर बकाए राशि की वसूली दिनांक 25 मार्च, 1982 को कर ली गई है। शेष मामले में 1982 में ही निलाम पत्र वाद दाखिल कर दिया गया है जिसके माध्यम से वमूल होगा। उक्त उध्यों के प्रालोक में आपत्ति समाप्ति को अनुशंसा की जाती है।

उक्त पदाधिकारी को निलाम पत्र मुकदमा सं० तथा तिथि के संबंध में इस विभाग के पत्राक-13299 दिनांक 16 सितम्बर, 1992 द्वारा सूचना मागी गई है। उक्त पत्र में लम्बित बकाए कर की वसूला हेतु जिला निलाम पत्र कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर अद्यतन स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया है।

2 जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने उक्त कंडिका में उठाई गई आपत्ति के अनुपालन में प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :—

अनुसूची 1 में वर्णित छः गाड़ियों के विरुद्ध वसूला हेतु कार्रवाई निम्न प्रकार है :—

1.	बी० आर० एफ०-3731-निलाम	बद सख्या	30/85	दर्ज है।
2.	बी० एच० एफ०-3989	वही	वही	40/85 वही।
3.	बी० एच० एफ०-3240	वही	वही	37/85 वही।
4.	बी० एच० एफ०-4115	वही	वही	39/85 वही।
5.	बी० आर० एफ०-2943	वही	वही	38/85 वही।

6. बी० एच० एफ०-336-गाड़ी, सहरसा, जिले में चली गई है। जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा को इस कार्यालय के पत्रांक-906 दिनांक 21 अगस्त, 1985 को लिखा गया था एवं स्मार के उपरान्त भा उत्तर प्राप्त है। सूचना प्राप्त होते ही समिति को सूचित कर दिया जायगा।

3. जिला परिवहन, पाधिकारी पटना ने इस कंडिका के अनुपालन में प्रतिवेदन किया है कि इसमें कुल चार गाड़ियां हैं :—(1) बी०एच०क्यू०-9279 (2) बी०एच०क्यू० 7898 (3) बी० एच० क्यू० 8384 तथा (4) बी० एच० क्यू०-6175। इनमें तीन गाड़ियों का लदान नए पुनरोक्षित कर बकाए कर का वसूला कर ली गई है। क्रमांक (2) की गाड़ी सख्या बी० एच० क्यू० 7898 के विरुद्ध मांग पत्र निर्गत कर बकाए कर की वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है।

अतएव बर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि जिला परिवहन पदाधिकारी, छपरा, मुजफ्फरपुर एवं पटना द्वारा प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के आलोक में इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश :—

विभागीय सृष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करता है कि :—

(1) कम कर निर्धारण के लिए कौन-कौन पदाधिकारी जिम्मेवार थे उनके विरुद्ध जांच कर विभागीय कार्रवाई की जाय तथा की गई कार्रवाई से समिति को अवगत कराई जाय।

(2) लंबित बकाए कर की वसूली हेतु की गई कार्रवाई से सबवित्त अद्यतन स्थिति से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराया जाय।

क्रमांक—9 अं० प्र० वर्ष 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका सख्या-4.2 सड़क कर की संगणना में भूल—बिहार और उड़ीसा माटर यान कराधान अधिनियम 1930 से अन्तर्गत सिर्फ माल ढाने के काम के लिए उद्योग किए गए यानों के सबध में अणुकृत मान से, जो यानों के पजीकृत लदान-भार पर निर्भर करता है, कर देय है।

जिला परिवहन अधिकारी, जमशेदपुर के अभिलेखी की लेखा परीक्षा के दौरान पता चला (जुलाई, 1980) कि 26 यानों के सम्बन्ध में कर पजीकृत लदान-धारी पर लागू दर को अपेक्षा कम दर वसूला गया। 1978-79 से 1979-80 का अवधि में कम लगाये कर की कुल राशि 10,798 रु० थी।

इसको सूचना विभाग को फरवरी, 1981 और सरकार को दिसम्बर, 1981 में
गई थी। उत्तर की प्रतीक्षा है (मई, 1982)।

विभागीय स्पष्टीकरण

भारत के नियंत्रक, लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 (रा० पा०) की
का 4.2—सड़क कर की संगणना में भूल एवं लदान क्षमता का गलत ढंग से निर्धारण
कारण हुई राजस्व क्षति के संबंध में सूचित करना है कि उगत कंडिका का विषय जिला
परिवहन कार्यालय, जमशेदपुर से संबंधित है। जिला परिवहन कार्यालय, जमशेदपुर
प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर विभागीय मतभेद निम्न प्रकार है :—

जिला परिवहन पदाधिकारी, जमशेदपुर ने इस में कंडिका के अनुपालन के संबंध में
वेदित किया है कि इस कंडिका में कुल चार गाड़ियों सम्मिलित हैं जिन में तीन
गाड़ियों के विरुद्ध बकाए कर की बसूली हेतु प्रशासनिक कार्रवाई के साथ निलाम पत्र
दमा दायर किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है :

सं०	गाड़ी सं०	बकाया राशि	निलाम पत्र मुकदमा संख्या एवं वर्ष।
1.	बी० आर० टी०—5604	3,648.82	623/92-93
2.	बी० एच० टी०—210	4,502.67	615/92-93
3.	बी० आर० एक्स०—5509	4,583.51	329/92-93

गाड़ी निबंधन सं० बी० आर० एक्स०—9745 राजदूत मोटर साईकिल
जिसका वर्ष 1975 से कोई पता नहीं है। उक्त वाहन भार वाहन नहीं
। अतः लिप्त लेखन की प्रक्रिया की जा रही है।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि जिला परिवहन पदाधिकारी
जमशेदपुर द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के आलोक में इस कंडिका को समाप्त करने
की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के प्रालोक में समिति यह अनुशंसा करती है कि :—

(1) विभाग सड़क कर की संगणना में भूल एवं लदान क्षमता का गलत ढंग
निर्धारण किए जाने के कारण हुई। राजस्व क्षति के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों
वर्द्ध कार्रवाई कर समिति को छः माह के अन्दर सूचित करें।

(2) बकाए कर की वसूली में विलम्ब करने वाले पदाधिकारियों पर जिम्मेदारी सुनिश्चित कर उनके विरुद्ध की कार्रवाई से समिति को छः माह के अन्दर सूचित किया जाय ही भविष्य में इस तरह की अनियमितता नहीं बरती जाय।

(3) अकेक्षण आपत्तियों में निहित वाहनों से बकाये कर की वसूली की अद्यतन स्थिति से समिति को छः माह के अन्दर सूचित किया जाय।

क्रमांक-10

अकेक्षण प्रतिवेदन 1980-81 (रा० त्रा०) की कडिका-4.3 (क) (ख)

कर का भुगतान किये बिना यान चलाना — बिहार और उड़ीसा मोटरयान करान्वार अधिनियम, 1930 के अन्तर्गत उपयोगार्थ मोटरयान रखनेवाले व्यक्ति का मोटरयान व्यवहार करने के लिए कर देना अनिवार्य है। उपरोक्त अधिनियम ऐसे यानों को कर से मुक्त करता है जो व्यवहार करने के उद्देश्य से न हों और जिनका कर-टोकन वर अधिकारी को अर्पित कर दिया गया हो। बिना कर दिये व्यवहार के लिए यानों को रखना उक्त अधिनियम के अनुसार जुर्म है और इस जुर्म के लिए मोटरयान मालिक को जुर्माने के साथ दण्डित किया जा सकता है जो मोटरयान के वार्षिक कर के डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगा।

(क) जिला परिपहन कार्यालय, पटना की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (मार्च, 1981) कि अक्टूबर, 1973 और मार्च, 1981 के बीच, की विभिन्न अवधियों के लिए तीन यानों के सम्बन्ध में सड़क में सड़क-कर के विस्तों की अदायगी नहीं की गई थी हालांकि वहां कोई ऐसा अभिलेख नहीं था जिससे पता चलता कि उक्त अवधि में मोटरयान सड़कों पर नहीं चलाये और कर-टोकन को अर्पित किया गया तथा बिहित प्रक्रिया के अनुसार मालिकों द्वारा कर विमुक्ति का दावा किया गया। मोटरयान निरीक्षक के रिपोर्ट के अनुसार जनवरी, 1974 और दिसम्बर, 1980 के बीच की विभिन्न अवधियों के लिए इन यानों के संबन्ध में दुरुस्त होने के प्रमाण-पत्र जारी किये गये थे। हालांकि मोटरयान निरीक्षक को दुरुस्ती का प्रमाण-पत्र जारी करने के पूर्व सड़क-कर की अदायगी न करने के संबंध में कर लगाने वाले प्राधिकारियों के पास रिपोर्ट करना चाहिए था किन्तु इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं की गई।

इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 1981 को अन्त होनेवाली तिमाही तक की अवधि का 30,593 रुपये का सड़क-कर नहीं वसूला गया। इन मामलों में इस जुर्म के लिए लगनवाला अधिकतम जुर्माना आंकलन करने पर 45,890 रुपये हुआ।

इसकी सूचना विभाग को नवम्बर, 1981 तथा सरकार को दिसम्बर, 1981 में दी गई थी। उत्तर की प्रतीक्षा है (मई, 1982)।

(ख) इसी प्रकार जिला परिवहन कार्यालय, मातिहारी और मुजफ्फरपुर में जून, 1972 और मार्च, 1980 के मध्य की विभिन्न अवधियों के लिए सात यानों के संबंध में सड़क-कर की किस्तों का भुगतान नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान पता चला कि इन यानों के साथ सड़क दुर्घटनाएं हुईं जो साबित करती हैं कि ये सड़कों पर चले। इसके अतिरिक्त, इसके विरुद्ध यातायात अपराध के मामले भी पुलिस में दर्ज हैं। परिणामस्वरूप जून, 1972 और मार्च, 1980 के बीच के अवधियों से संबंधित 69,263 रुपये का सड़क-कर नहीं वसूला गया। इन मामलों में अधिकतम जुर्माना जो लगाया जाता, हिसाब करने पर 1,03,895 रुपये होता है। विभाग को इसकी सूचना अक्टूबर और नवम्बर, 1981 में तथा सरकार को दिसम्बर, 1982 में दी गई थी। उत्तर की प्रतीक्षा है (मई, 1982)।

विभागीय स्पष्टीकरण

कडिका 4.3 सड़क-कर न लगाया जाना, जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर (तोहारी तथा पटना से संबंधित है। इस कडिका का अनुपालन प्रतिवेदन संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से प्राप्त हुआ है, जो निम्न प्रकार है :—

जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि—

(i) गाड़ी सं० बी० आर० एफ०-6195 पर बकाए कर की वसूली हेतु मांग-पत्र निर्गत किया गया था जो वापस हो गया। तदुपरांत याना प्रभारी, मूढ़नी (मुजफ्फरपुर) को इस संबंध में पत्रांक-14, दिनांक 5 जनवरी, 1982 द्वारा लिखा गया कि कुछ प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ जिसके फलस्वरूप निबंधन रद्द करने की कार्रवाई की गई।

(ii) गाड़ी सं०-बी० आर० एफ०-4817 से बकाए कर की वसूली हुई है। फर्क मार्ग-कर I/76, II/82 एवं I/83 तथा अतिरिक्त कर II/84 एवं I/85 तिमाही में पे-इन-स्त्रिय गाड़ी मालिक द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। इसके लिए स्मार्त जारी किया गया तथा निलाम-पत्र मुकदमा दायर कर दिया गया है।

(2) जिला परिवहन पदाधिकारी, मोतिहारी ने प्रतिवेदित किया है कि क वसूली हेतु निलाम-पत्र वाद दायर किया जा चुका है।

(3) जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना ने इस संबंध में अपना अनुपालन प्रतिवेदन निम्न प्रकार दिया है :—

क्रम सं०	गाड़ी सं०	अवधि जिसका कर छूट गया	सन्निहित राशि	वसूली गई राशि	सड़क पर नहीं चलने वाली गाड़ियों में सन्निहित राशि
1	2	3	4	5	6
			रु०	रु०	रु०
1.	बी० एच० पी० 5768	1-7-78 से 31-3-81	7,734.75	6,668.00	1,402.50
2.	बी० एच० पी० 8041	1-10-77 से 31-3-81	7,334.60	3,670.30	3,667.30
3.	बी० आर० पी० 1842	1-10-73 से 31-11-75 1-12-75 से 31-3-81	4,183.50 11,352.05	बी० आर० पी०-1842 का मूल पंजी फट जाने के कारण पंजी की द्वितीय प्रति में उक्त गाड़ी का अंकन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।	

अतएव वर्णित तथ्यों के आलोक में संबंधित परिवहन पदाधिकारियों द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में उक्त कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिस

विभागीय स्पष्टीकरण पूर्ण एवं स्पष्ट नहीं है। अतः समिति अनुशंसा करती है कि—

1. अंकेक्षण अगति से संबंधित सड़क कर एवं जुर्मानों की वसूली नहीं करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई नहीं की गई, कार्रवाई समिति को सूचित किया जाय।

2. सड़क कर एवं जुर्मानों से, अब तक कितनी राशि की वसूली की गई है, समिति को अवगत कराया जाय।

3. भविष्य में इस तरह को अनियमितता नहीं बरती जाय।

क्रमांक 11.—अन्वेषण प्रतिवेदन 1980-81 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.4

सड़क कर की गलत दरों को लागू करना—बिहार और उड़ीसा मोटर यान करा-
वान अधिनियम, 1930 के अन्तर्गत कर यान के लिए, जो उद्योग के लिए रखा जाता
है, अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निश्चिन्ता को गई दरों के अनुसार कर देना पड़ता है।

जिला परिवहन कार्यालय, जमशेदपुर के अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान
देखा गया (जुलाई 1980) कि एक यान पर जिसे 13,382 कि० ग्रा० लदान-भार
के लिए पंजीकृत किया गया था, 1976-77 के लिए 1,082.40 रुपये की दर से तथा
अप्रैल, 1977 से मार्च 1978 की अवधियों के लिए 935.30 रु० की दर से लगाया गया,
जबकि विहित दर 3,008.50 रु० प्रतिवर्ष है। 1976-77 से 1980-81 की अवधियों
के दौरान कुल 10,218 रु० का कम कर लगाया गया है। विभाग को इसकी सूचना
फरवरी, 1981 में तथा सरकार को जनवरी, 1982 में दी गई थी, उत्तर की प्रतीक्षा है
(मई 1982)।

विभागीय स्पष्टीकरण

उपर्युक्त कंडिका 4.4 सड़क कर की गलत दरों को लागू करने के संबंध में कहना है
कि उक्त कंडिका जिला परिवहन कार्यालय, जमशेदपुर से सम्बन्धित है। जिला परि-
वहन पदाधिकारी, जमशेदपुर ने उक्त कंडिका के अनुगमन में निम्नलिखित प्रतिवेदन
दिया है:—

प्रश्नगत कंडिका में ट्रक सं० बी० आर० डी०-6360 जिसका निबंधन मूलतः वर्ष
1960 का है, 10,705 (एल० पी० एस०) पौंड पर किया गया है। वर्ष 1976 में
गाड़ी का लदान वजन 25 प्रतिशत अनिश्चित लदाई वजन देकर पुनरीक्षित लदाई वजन
13,382 पौंड किया गया है परन्तु निबंधन पुस्त में एल० पी० एस० पौंड के बदले के०
जो० लिखे जाने से अन्वेषण दल द्वारा आपत्ति की गई है। मूलतः गाड़ी का लदाई वजन
13,382 एल० पी० एस० है जो मूल निबंधन पुस्त के अनुसार है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में जिला परिवहन पदाधिकारी जमशेदपुर द्वारा दिए गए
स्पष्टीकरण के आधार पर उक्त कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

बिभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना
नहीं चाहती है।

क्रमांक 12.—अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.1

नमूना लेखा परोक्षा के सामान्य परिणाम—पहले अप्रैल 1981 और मार्च 1982 के मध्य में 26 जिला परिवहन कार्यालयों के कर निर्धारण तथा संग्रहण संबंधी अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 470 मामलों में 2.77 लाख रुपये के मोटर यान कर कम लगाये गए। इनका वर्गीकरण निम्नलिखित शेषों के अन्तर्गत किया गया है:—

मामलों की संख्या	(लाख रुपयों में)	
1. अनियमित छूट देने तथा गलत दरों को लागू करने के कारण पथ कर का कम उदग्रहण	166	1.17
2. जुर्माना और कर को कम कम वसूली	129	0.98
3. विविध	175	0.62
योग	470	2.77

विभागीय स्पष्टीकरण

उपर्युक्त कंडिका 4.1 के संबंध में कहना है कि पहली अप्रैल, 1981 और 31 मार्च, 1982 के मध्य कुल 470 मामलों में अनियमित छूट देने तथा गलत दरों को लागू करने के कारण पथ कर के हार में कुल 2.77 लाख रुपये का कम उदग्रहण होना प्रतिवेदन में किया गया है।

इस कमी का कारण है कि उस समय यात्री कर तथा मालकर के रूप में की गई कुल वसूली का 20 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत की दर से निर्धारित किया गया था। इस व्यवस्था में करों की सही गणना कठिन था। अतः बाद में बिहार मोटर गाड़ी कराहोपण अधिनियम, 1930 में संशोधन कर यात्रियों को बैठाने की क्षमता तथा निर्बंधित लदान वजन के आधार पर मार्ग कर तथा अतिरिक्त मोटर गाड़ी कर निर्धारण किया गया। इस प्रकार उक्त कंडिका का अनुपालन पूर्व में अधिनियम में संशोधन कर किया जा चुका है। जहाँ तक 26 जिलों से कम कर वसूली का प्रश्न है, इस संबंध में उक्त कंडिका में जिला परिवहन कार्यालयों का वर्णन अंकित नहीं किया गया है, जिससे पता नहीं चलता है कि वस्तुतः किस जिले से कम कर की वसूली की गई। जो भी हा, इस कंडिका का अनुपालन मोटर गाड़ी कराहोपण अधिनियम में संशोधन कर किया जा चुका है। अतः उक्त कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश ।

विभागीय उत्तर पूर्ण एवं स्पष्ट नहीं है : अतः समिति अनुशंसा करती है कि—

अकेक्षण आपात में वर्णित 2.77 लाख रुपये कम कर लगाने के लिए कौन पदाधिकारी जिम्मेवार थे तथा उन पर इसके लिए दोषा करार कर क्या कार्रवाई की गई है, से समिति को अवगत कराया जाय ।

क्रमांक 13—अकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) की कंडिका-4.2

कर-निर्धारण से सर्वोत्तम विवेक के आधार पर कर योग्य पण्यावर्त को गणना में गलती - वाणिज्य-कर विधाय अधिनियम, पटना में अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया (अगस्त 1982) कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा अपेक्षित लेख और कागजात नहीं पेश कर सकने पर इसके द्वारा प्राप्त भाड़े और ढुलाई की राशि सर्वोत्तम विवेक के आधार पर 1976-77, 1977-78 और 1978-79 का क्रमशः 12, 24, 91, 028 रु० 11, 78, 07, 968 रु० और 10, 41, 16, 456 रुपये निर्धारित किया गया (जुलाई 1981) जैसा कि करदाता के द्वारा विवरणियों में दिखाया गया था। भाड़े और ढुलाई से अर्जन संबंधी आकड़ों को अलग-अलग हिसाब न करके तथा उसपर कर की सही दरों (25 प्रतिशत भाड़ों पर तथा 20 प्रतिशत ढुलाई पर) का लागू न करके कर-निर्धारण अधिकारी ने 1976-77 और 1977-78 के अर्जन पर 20 प्रतिशत तथा 1978-79 के अर्जन पर 25 प्रतिशत एक समान दर लागू कर 8 जुलाई, 1981 को कर निर्धारण का कार्य पूरा किया। निगम के वार्षिक प्रमाणिक लेख जिसे कर-निर्धारण की तिथि के पूर्व अन्तिम रूप दे दिया गया था, के संदर्भ में पता चला कि 1976-77, 1977-78 और 1978-79 का भाड़ा और ढुलाई पर अर्जन क्रमशः 12,35,26,119 रु० (भाड़ा 12, 19, 26, 539 रु० और ढुलाई 15, 99, 580 रु०) 11, 86, 96, 024 रु० (भाड़ा 11, 17, 96, 123 रु० और ढुलाई 14, 99, 901 रु०) और 13, 61, 49, 380 रु० (भाड़ा 13, 48, 89, 816 रु० ढुलाई 12, 59, 564 रु०) था। सर्वोत्तम विवेक के आधार पर गलत कर योग्य पण्यावर्त ग्रहण करने तथा उसपर गलत दर के लागू करने के फलस्वरूप 1976-77 से 1978-79 की अवधि में 2,02,86,015 रुपये का कम कर-निर्धारण हुआ।

विभागीय स्पष्टीकरण

उपर्युक्त कडिका 4.2 के अनुपालन के सम्बन्ध में कहना है कि बिहार यात्री और माल (लोक सेवा मोटर यानों द्वारा ढुलाई) अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत लोक सेवा मोटर यानों के मालिकों पर लगने वाले करों का निर्धारण भाड़े का 25 प्रतिशत तथा ढुलाई का 20 प्रतिशत निर्धारित किया गया था, जिसके आधार पर कर की वसूली की जाती थी, जिसे बाद में बिहार मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम, 1930 में संशोधन कर मार्ग-कर तथा अतिरिक्त मोटर गाड़ी कर निर्धारित किया गया था। इसके आधार पर वसूली का जाने लगा। इस प्रकार उक्त बाहन करारोपण अधिनियम में संशोधन कर दिया गया।

जहाँ तक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अभिलेखों की जाँच का प्रश्न है, उक्त कडिका में संबंधित अभिलेखों का विवरण अंकित नहीं रहने के कारण यह पता लगाना संभव नहीं हो पा रहा है कि वस्तुतः किस अभिलेख में कम राजस्व का वसूली हुई है।

अतएव वर्णित तथ्यों के आलोक में इस कडिका की समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर संतोषप्रद नहीं है। अतः समिति अनुशंसा करती है कि :—

- (1) कर की सही दरों को लागू न करने से सम्बन्धित पदाधिकारियों पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, इससे समिति को सूचित किया जाय।
- (2) कम कर लगाए गए राशि 2,02,86,015 रुपये की वसूली की अद्वतन स्थिति से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराया जाय।
- (3) भविष्य में इस तरह की अनियमितता नहीं बरती जाय।

क्रमांक—14. अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) की कडिका-4.3

मोटरयान कर नहीं लगाना—जिला परिवहन कार्यालय, राँची और पटना की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया (मई-जून, 1981 और जनवरी-फरवरी, 1982) कि अप्रैल, 1973 और मार्च, 1981 के बीच को विभिन्न अवधियों के लिए 14 यानों के संबंध में कर के किस्तों की अदायगी नहीं की गई थी, हालांकि वहाँ कोई ऐसा अभिलेख नहीं था जिससे पता चलता कि उक्त अवधि में मोटरयान मढ़कों पर नहीं चलाए गए

गिर कर-टोकन को अभ्यर्पित किया गया तथा विहित प्रक्रियानुसार मालिकों द्वारा कर वृद्धि का दावा किया गया। वास्तव में मोटरयान निरीक्षक की रिपोर्ट से पता चला कि सभी चौदहों यान जून, 1980 और मार्च, 1981 के बीच सड़क दुर्घटना के शिकार हुए। स्पष्टतः ये यान सड़क पर चलाए गए। उन तिथियों तक, जिन विभिन्न मामलों में दुर्घटना की रिपोर्ट की गई थी, से हिसाब करने पर नहीं वसूले गए पथकर की राशि 1,24,879 रु० हुई तथा इन मामलों में इस अपराध के लिए मालिकों पर ज़ुर्माना भी नहीं लगाया गया।

विभागीय स्पष्टीकरण

उपरोक्त कंडिका 4.3 के अनुपालन जिला परिवहन कार्यालय, राँची तथा पटना से संबंधित है। संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :—

1.—जिला परिवहन पदाधिकारी, राँची ने प्रतिवेदित किया है कि उनके जिला से 10 गाड़ियाँ संबंधित है बिन पर बकाए कर की वसूली हेतु निम्न प्रकार से कार्रवाई की गई है :—

वर्णित गाड़ियों में से निम्नलिखित गाड़ियों का कर भुगतान कर दिया गया है, बी आर भी-9635, बी एच एन-5400, बी एच एन-6623, बी आर भी-6188, बी आर भी-7911 निम्न गाड़ियों के विरुद्ध कर की वसूली हेतु निलाम पत्र बाद दायर किया गया है :—

क्रम सं०	गाड़ी संख्या	नीलाम पत्र बाद सं०
1.	बी आर भी—9981	555
2.	बी एच एन—5339	599
3.	बी आर भी—8455	553
4.	बी आर भी—1121	598
5.	बी एच भी—898	यह गाड़ी प्रत्यार्पित है।

वर्णित तत्वों के बावजूद में इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश ।

बिभागीय उत्तर पूर्ण नहीं है । अतः समिति अनुशंसा करती है कि—

(1) कर वसूली नहीं करने वाले कौन-कौन पदाधिकारी थे, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई तथा बकाए कर की वसूली की दिशा में अब तक क्या कार्रवाई की गई है, ये समिति को छः माह के अन्तर्गत अवगत कराया जाय ।

(2) यान मालिकों पर जुर्माना नहीं लगाने के क्या कारण थे । इससे समिति को अवगत कराया जाय ।

क्रमांक—15 अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा० प्रा०) कडिका-4.4

(क) कम कर लगाना—जिला परिवहन कार्यालय, हजारीबाग, जमशेदपुर और सहरसा के लेखाओं की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया (अप्रैल और दिसम्बर, 1981 के बीच) कि छः यानों के लदान-भार में अपेक्षित वृद्धि नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप अक्टूबर, 1975 और दिसम्बर, 1981 के बीच विभिन्न अवधियों में 17,556 रुपये के कर की कम वसूली हुई ।

(ख) उन मामलों में जहाँ विनिर्माताओं का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, पंजीकृत लदान-भार यान के पहिया आधार और टायर के आकार के अनुरूप विसर्पी क्रम पर निश्चित किया जाता है ।

जिला परिवहन कार्यालय, पटना के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान (जनवरी-फरवरी, 1982) पाया गया कि मार्च, 1974 और जुलाई, 1976 के मध्य में छः यानों को ट्रक में रूपान्तरित किया गया । यानों के पहिया आधार और टायर के आकार के आधार पर उनका सही पंजीकृत लदान-भार 13,750 किलोग्राम था, किन्तु उसकी जगह पर 10,769 किलोग्राम निर्धारित किया गया । इन परिवर्तित यानों के पंजीकृत लदान-भार के गलत निर्धारण के फलस्वरूप जुलाई, 1974 से दिसम्बर, 1981 की अवधि में कुल 36,301 रुपये के कर की कम वसूली हुई ।

विभागीय स्पष्टीकरण ।

उपर्युक्त कंडिका जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग, जमशेदपुर से संबंधित है । संबंधित पदाधिकारियों द्वारा दिया गया अनुपालन प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :—

1 जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग ने निम्न रूप से प्रतिवेदन दिया है :—

क्रम सं०	गाड़ी सं०	वकाया	अनुपालन
1.	बी० आर० एम०-8753	3006.67	नीलाम पत्र बाद सं० 90/92-93 दिनांक 9 जून, 1992
2.	बी० आर० एम०-8707	2060.00	नीलाम पत्र बाद सं० 89/92-93 दिनांक 9 जून, 1992
3.	बी० आर० एम०-8687	3006.67	वही 103/ वही ।
4.	बी० आर० एम०-8649	3006.00	वही 102/ वही ।
5.	बी० आर० एम०-8636	2346.00	वही 101/ वही ।
6.	बी० आर० एम०-8587	2933.32	बैंक स्कौल सं० 182 दिनांक 8 जून, 1992
7.	बी० आर० एम०-0812	1210.00	नि० पत्र बाद सं०-99/92-9-93
8.	बी० एच० एम०-4034	1540.00	वही 104/92-93
9.	बी० एच० एम०-293	1760.00	वही 105/92-93
10.	बी० आर० एम०-7590	4883.37	वही 100/92-93
11.	बी० आर० एम०-5116	277.70	वही 97/92-93
12.	बी० आर० एम०-5875	1490.00	बैंक स्कौल 182 दिनांक 8-6-92

जिला परिवहन पदाधिकारी, जमशेदपुर ने प्रतिवेदन किया है कि दस में निम्नलिखित गाड़ियां हैं जिन पर समुचित कार्रवाई की गई है ।

1. बी० आर० एम०-9475 540465.00 नि० पत्र बाद सं०-349/92-93
2. बी० आर० एम०-5509 5233.00 वही 9/92-93

वर्णित तथ्यों के आलोक में इस कंडिका को समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश ।

विभागीय स्पष्टीकरण पूर्ण एवं संतोषप्रद नहीं है अतः समिति अनुशंसा करती है कि—

(1) लदान भार में अपेक्षित वृद्धि न कर कम कर वसूल करने के लिए कौन-कौन पदाधिकारी जिम्मेवार थे तथा उनके विरुद्ध विभाग द्वारा आज तक क्या कार्रवाई की गई है, से समिति को अवगत कराया जाय ।

(2) 17,556 रुपया और 36,301 रु० बकाए कर की वसूली की अद्यतन स्थिति क्या है, सम्बन्धित पूर्व विवरण छः माह के अन्दर समिति को उपलब्ध कराई जाय ।

क्रमांक-16- -अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 (रा०प्रा०) की कंडिका-4.5

पथ-कर की गलत दरों को लागू करना । (क)--जिला परिवहन कार्यालय, हजारीबाग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया (अप्रैल-मई, 1981) कि पंजीकरण के समय यानों के गलत लदान-भार ग्रहण करने के कारण 9 यानों पर विहित दर से कर न लगाकर निम्नतर दर पर कर लगाया गया । जिसके फलस्वरूप अक्टूबर, 1977 और मार्च, 1981 की विभिन्न अवधियों में 21,524 रुपये कम कर लगाया गया ।

(ख) जिला परिवहन कार्यालय, रांची के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया (मई-जून, 1981) कि एक सितम्बर, 1977 से 31 दिसम्बर, 1981 की अवधि में 89 यानों पर विहित दरों 181.50 रुपये से 1,236.15 रुपये प्रति यान प्रति तिमाही की जगह 18.75 रुपये से 972.15 रुपये प्रति यान प्रति तिमाही दरों पर कर लगाया गया । इसके परिणामस्वरूप कुल 13,151 रुपये के कर को कम उगाही हुई ।

विभागीय स्पष्टीकरण

उपयुक्त कंडिका जिला परिवहन कार्यालय हजारीबाग तथा रांची से संबन्धित है । संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा दिया गया अनूपा लन प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	गाड़ी संख्या	बकाए राशि	की भुगतान की स्थिति
(1)	बी०आर०एम०—816	198-00	बैंक स्कूल सं० 123 दिनांक 13.2.82 द्वारा भुगतान किया गया ।
(2)	बी०आर०एम०—9378	80-75 27-00	80 दि० 7-1-82 ,,

क्रम सं०	गाड़ी संख्या	बकाए राशि	की भुगतान की स्थिति ।
रती	(3) बी०आर०एम० — 621	329-82	„ 183 दि० 8-6-92 „
	(4) बी०एच०एम० — 98	132-00	„ 140 दि० 20-8-92 „
तीन	(5) बी०एच०एम० — 8904	204-05	„ 89 दि० 21-1-83 „
की	(6) बी०एच०एम० — 7305	24-75	„ 3 दि० 10-6-82 „
	(7) बी०आर०एम० — 8463	159-50	„ 29 दि० 27-8-82 „
उन	(8) बी०एच०एम० — 4458	17-00	„ 15 दि० 17-6-92 „
।।	(9) बी०एच०एम० — 745	36-00	„ 54 दि० 31-10-81 „
	(10) बी०आर०एम० — 7722	176-00	„ निलाम पत्र सं० 106/92-93 दायर किया गया ।
य,	(11) बी०एच०एम० -- 353	286-00	„ 107/92-92 ...
)	(12) बी०एच०एम० -- 428	40-50	„ 98/92-93 ..
र	(13) बी०आर०एम० — 7199	40-60	„ 92/92-93 ...
र	(14) बी०आर०एम० — 9914	201-10	„ 1082/92-93 ..
र	(15) बी०आर०एम० — 9984	02-90	„ तीन रुपये अर्धसिव स्टाम्प के द्वारा भुगतान किया गया ।
।	(16) बी०एच०एम० -- 6424	382-92	„ निबंधन पंजी के अनुसार यह गाड़ी स्कूल बस में निबधित है परन्तु अंकेक्षण प्रतिवेदन में टैक्सी दर्शाया गया है । इस गाड़ी में 53 सीट है जबकि प्रतिवेदन में बैठान क्षमता 7 दर्शाया गया है । यह बकाया राशि 1-4-80 से 30-4-81 का अंकित किया गया है जबकि गाड़ी का निबंधन 27-7-85 को हुआ है जो कि बकाया राशि के बाद का है इस लिए अंकेक्षण आपत्ति असंगत है ।

(17) 8971 192-15 गाड़ी का निबधन दिनांक 1-11-83 को हुआ है तथा गाड़ी का मॉडल भी वर्ष 1983 ही है। इस गाड़ी पर बकाया राशि की अवधि 1-2-1980 से 31-1-1981 दर्शाया गया है। इसलिए इस अवधि की बकाया राशि की वसूली असंगत है।

2—यह अपति ट्रक सं०-बी०एच०भी०-8416 से संबंधित है। यह आरक्षी विभाग से नाम निबंधित ट्रक है। इसका निबधन वर्ग-6 में 30 आसन क्षमता पर की गई है आसन क्षमता का पुनराक्षण कराने हेतु निदेश दिया गया है एवं बकाया अन्तराल कर की वसूली हेतु निलाम वाद सं०-600 दायर किया गया है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा दिये गये अनुपालन प्रतिवेदन के आधार पर इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर संतोषप्रद है जिसके आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक-17 अंकेक्षण प्रतिवेदन 1981-82 राजस्व प्राप्तियां की कंडिका — 4.6

बकाये राशियों को वसूले बिना वर्तमान कर की स्वीकृति—बिहार और उड़ीसा मोटरवाहन कराधान अधिनियम के अन्तर्गत कराधान अधिकारी मोटरवाहन के बालू तिमाही कर को लेना आवीकार कर सकता है, जबतक कि पिछला कर जो उस यानों के लिए बकाया है, पूरी तरह अदा नहीं किया जाता है अथवा कराधान अधिकारी द्वारा उसका संतोषजनक रूप में निपटारा नहीं हो जाता है। परिवहन कार्यालय, जमशेदपुर की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया (जून-जुलाई, 1981) कि 13 यानों के संबंध में वर्तमान वर्ष के कर वसूले गए थे और बिना बकाया कर की वसूली के मालिकों को टोकन दिए गए थे। हालांकि यानों, जिनके लिए कर नहीं दिए गए, के किसी अवधि में बेकार पड़े रहने को सिद्ध करने वाला कोई अभिलेख नहीं था। अप्रैल, 1973 और मार्च, 1981 की अवधि में बकाया कर जो न लगाया गया और न वसूला गया, की राशि 21,616 रुपये हुई। अलावे यानों के मालिक भुगतान के माह तक आकलित कर की राशि का 50 प्रतिशत के बराबर का राशि माह के रूप में देने के भागीदार थे।

विभागीय स्पष्टीकरण

उपर्युक्त कंडिका जिला परिवहन कार्यालय, जमशेदपुर से संबंधित है। जिला परिवहन पदाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा दिया गया अनुपालन प्रमाणपत्र निम्न प्रकार है—

क्रम सं०	गाड़ी संख्या	बकाए का राशि	वसूली की स्थिति
1.	बी०एच०एस० 8010	181.50	निलाम पत्र संख्या 328/90 दायर किया गया।
2.	बी०एच०एस० 8141	1236.15	निलाम पत्र ,, ,, 330/90
3.	बी०एच०एस० 8079	701.25	,, ,, ,, ,, 158/91-92
4.	बी०एच०एस० 8172	55.00	इस गाड़ी के कर आर० टी० ओ० मयूरभंज (उड़ीसा) में भुगतान किया गया है, अनापत्ति प्रमाण-पत्र सं० 494, दि० 12 फरवरी 1980,
5.	बी०एच०एस० 8232	55.99	चालान सं० 4, दिनांक 6 मार्च 1982 द्वारा भुगतान किया गया।
6.	बी०एच०आर० 6020	840.15	च० सं० 18 दि० 30 दिसंबर 1980 द्वारा भुगतान किया गया।
7.	बी०एच०टी० 2341	217.50	च० सं०-32, दिनांक 1 जुलाई, 1976 द्वारा भुगतान किया गया।
8.	बी०एच०टी० 4952	906.15	च० सं०-136, दिनांक 7 जनवरी, 1982 द्वारा भुगतान किया गया।
9.	बी०एच०टी० 5812	2520.45	च० सं०-के-16, दिनांक 31 मार्च, 1980 द्वारा भुगतान किया गया।
10.	बी०एच०टी० 6567	55.00	च० सं०-बी-34, दिनांक, 8 जुलाई, 1980 द्वारा भुगतान किया गया।
11.	बी०आर०एक्स० 9967	701.25	च० सं० 80, दि० 10 अक्टूबर, 1980 च० सं०-15, दि० 15 जुलाई, 1980 द्वारा भुगतान किया गया। च० सं० 17 दिनांक 13 जुलाई, 1980 द्वारा भुगतान किया गया।

क्रम सं०	गाड़ी सं०	बकाए की राशि	वसूली की स्थिति
12.	बी०ग्रा०एक्स 8640	7953.00	निलाम पत्र मू सं० 157/92-93 दायर किया गया।
	बिना बका कर की वसूली के वर्तमान कर की स्वीकृति		
13.	बी०ग्रा०एक्स 535	6193.00	च०सं० 60, दि० 12 जनवरी 1977- 774.15
			,, 84, दि० 8 अप्रैल 1978-774.15
			,, 42, दि० 7 जुलाई 1978-774.15
			,, 88, दि० 4 अक्टूबर 1978-774.15
			,, 178, दि० 5 जनवरी 1979- 774.15
			,, 32, दि० 23 मार्च 1979-774.15
			,, 30, दि० 7 जुलाई 1979-774.15
			,, 39, दि० 17 अगस्त 1979- 774.15
			6195.20

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि कंडिका में उल्लिखित आपत्तियों का अनुपालन जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा कर दिया गया है।

अतएव वरिष्ठ तथ्यों के आलोक में उक्त कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण संतोषप्रद है जिसके आलोक में समिति इस अनुशंसा के साथ अब इस कंडिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। भविष्य में वाहन मालिकों से बकाए की राशि की वसूली के बाद ही विभाग टोकन देने की कार्यवाही करे।

कर व
नमून
इत्या
शीर्षों
क्रम
सं०

प्राप्ति
उक्त
जिल
मन्त

853
किये

